उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

संख्या-55/2016/2602/92-1-2016-51(अधि0)/2015,

लखनऊ: दिनांक: 19 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी, अधिशासी अभियंता को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-720/92-12-93एम/89टीसी, दिनांक 28-3-2012 द्वारा दिनांक 01-12-2008 से तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ देते हुये उन्हें उक्त तिथि से ग्रेड पे 8700 स्वीकृत किया गया था। निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-388/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/ए0सी0पी0/2016-17, दिनांक 06-7-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में यह अवगत कराया गया कि श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी द्वारा दिनांक 24-12-1983 को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में सहायक अभियंता के पद पर योगदान दिया गया था और इस प्रकार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त नियमानुसार तृतीय ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता दिनांक 24-12-2009 से बनती है। इस प्रकार पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28-3-2012 द्वारा श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी को त्रुटिवश दिनांक 01-12-2008 से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करते हुये ग्रेड पे 8700 किया गया था।

2- अतएव उपर्युक्त त्रुटि के निवारण हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुक्रम में श्री प्रदीप कुमार त्रिवेदी को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-720/92-12-93एम/89टीसी, दिनांक 28-3-2012 द्वारा दिनांक 01-12-2008 से स्वीकृत प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड पे रू0 8700 के लाभ को संशोधित करते हुये उन्हें दिनांक 01-12-2008 के स्थान पर दिनांक 24-12-2009 से तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड पे रू0 8700 स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-55 /2016/2602(1)/92-1-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रतन)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in